संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)71 / 83–खण्ड–4–3240–3241
हिमाचल प्रदेश सरकार
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

**प्रेषक :**

निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

**प्रेषित :**

निदेशक,
अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण,
एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली,
जिला कुल्लू, हि0प्र0

**विषय : अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली,के खाद्य लेखों तथा (WHMI) सोसाईटी के लेखों के अंकक्षण प्रतिवेदन के बारे में**

**महोदय,**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली,के खाद्य लेखों तथा (WHMI) सोसाईटी के लेखों के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रतियां आपको आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है। इन अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

हस्ता / –
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

पृष्ठांकन संख्या :– यथोपरि– दिनांकः30.05.2016, शिमला–1710009
प्रतिलिपि :–अतिरिक्त सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

हस्ता / –
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

# अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश के खाद्य लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
## अवधि 4/2013 से 3/2015

## भाग–एक

**1 प्रारम्भिक**

**(क)** वर्तमान लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्न अधिकारी संस्थान के निदेशक व आहरण/संवितरण अधिकारी के पदों पर कार्यरत रहे।

| क्र0 सं0 | अधिकारी का नाम | पद | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री ईन्द्र देव शर्मा | आहरण एवं वितरण अधिकारी | 1.4.13 से 27.11.14 |
| 2 | श्री कैप्टन रणधीर सिंह सलूहरिया | निदेशक एवं आहरण/वितरण अधिकारी | 28.11.14 से लगातार |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–**

| क्र0 सं0 | पैरा सं0 | अनियमितताओं का सार | राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4(घ) | संस्थान द्वारा गत कई वर्षों से बैंक जमा की गई आय की राशि की सम्बन्धित बैंक द्वारा पास बुकों में प्रविष्टियां न करना | 0.71 |
| 2 | 6 | विभिन्न कर्मचारियों/फर्मों को दी गई अग्रिम राशियों का समायोजन हेतु शेष पाया जाना | 32.24 |
| 3 | 8 | स्कीईंग कोर्सों के प्रशिक्षणार्थियों से अनुमोदिन दर से कम फीस प्राप्त करके छूट प्रदान करना | 0.95 |
| 4 | 9 | प्रशिक्षणार्थियों से अनुमोदित दर से कम दर पर फीस लेने के कारण फीस की कम वसूली करना | 0.28 |
| 5 | 11 | बिजली के बिलों के भुगतान हेतु अनियमित व्यय करना | 4.41 |
| 6 | 12 | विभिन्न एसोसिएसनों व संस्थानों को दान स्वरूप सहायतार्थ के रूप में अनियमित भुगतान करना | 0.24 |
| 7 | 13 | खाद्य पदार्थों के स्टॉक रजिस्टरों में खाद्य सामग्री को कम दर्ज करना | 0.30 |

**(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन**

संस्थान द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों के निपटारे हेतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जोकि चिन्ता का विषय है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के निपटारे हेतु आवश्यक कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को भेजे जाने सुनिश्चित किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक पैरा का निस्तारण सम्भव हो सके। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है।

**(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1980 से 3/1983**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 9 | अनिर्णीत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | पैरा 13 | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा 24 | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा 31 | अनिर्णीत | |

**(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2007**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 4 | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा 6 | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा 7 | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा 8 | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा 9 | अनिर्णीत | |
| 6 | पैरा 10 | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा 11 | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा 12 | अनिर्णीत | |
| 9 | पैरा 13 | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा 14 | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा 15 | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा 16(1, 2) | अनिर्णीत | |
| 13 | पैरा 17 | अनिर्णीत | |
| 14 | पैरा 18 | अनिर्णीत | |
| 15 | पैरा 19 | अनिर्णीत | |
| 16 | पैरा 20 | अनिर्णीत | |
| 17 | पैरा 21 | अनिर्णीत | |
| 18 | पैरा 22 | अनिर्णीत | |
| 19 | पैरा 23 | अनिर्णीत | |
| 20 | पैरा 24 | अनिर्णीत | |
| 21 | पैरा 25 | अनिर्णीत | |
| 22 | पैरा 26 | अनिर्णीत | |
| 23 | पैरा 27 | अनिर्णीत | |
| 24 | पैरा 28 | अनिर्णीत | |
| 25 | पैरा 29 | अनिर्णीत | |
| 26 | पैरा 30(ए,बी,सी) | अनिर्णीत | |
| 27 | पैरा 31 | अनिर्णीत | |
| 28 | पैरा 32 | अनिर्णीत | |

**(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2013**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 3 | निर्णीत | |
| 2 | पैरा 4(ख) | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा 4(ग) | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा 4(घ) | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा 4(ड.) | अनिर्णीत | |
| 6 | पैरा 4(च) | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा 4(छ) | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा 4(ज) | अनिर्णीत | |
| 9 | पैरा 5(क) | निर्णीत | (संशोधित पैरा पुनः प्रारूपित) |
| 10 | पैरा 5(ख) | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा 5(ग) | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा 6 | अनिर्णीत | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | पैरा 7 | अनिर्णीत | |
| 14 | पैरा 8 | निर्णीत | (पत्रांक संख्या 1–548/2011–फिन(एल0) भाग–1 दिनांक 10.11.2014 द्वारा निर्णीत) |
| 15 | पैरा 9 | अनिर्णीत | |
| 16 | पैरा 10 | अनिर्णीत | |
| 17 | पैरा 11 | अनिर्णीत | |
| 18 | पैरा 12 | अनिर्णीत | |
| 19 | पैरा 13(क) | निर्णीत | (पत्रांक दिनांक 10.12.2014 द्वारा निरस्त) |
| 20 | पैरा 13(ख) | निर्णीत | (पत्रांक दिनांक 10.12.2014 द्वारा निरस्त) |
| 21 | पैरा 13(ग) | निर्णीत | (पत्रांक दिनांक 10.11.2014 द्वारा निरस्त) |
| 22 | पैरा 13(घ) | अनिर्णीत | |
| 23 | पैरा 13(ड.) | निर्णीत | (पत्रांक दिनांक 10.11.2014 द्वारा निरस्त) |
| 24 | पैरा 13(च) | अनिर्णीत | |
| 25 | पैरा 13(छ) | अनिर्णीत | |
| 26 | पैरा 14 | निर्णीत | (पत्रांक दिनांक 10.11.2014 द्वारा निरस्त) |
| 27 | पैरा 15 | अनिर्णीत | |
| 28 | पैरा 16 | निर्णीत | (पत्रांक दिनांक 10.11.2014 द्वारा निरस्त, ₹204760 लाहौल पोटेटो सोसाईटी द्वारा 12.8.2013 रोकड़ वही के पृष्ठ 67 पर जमा) |
| 29 | पैरा 17(क) | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख की जांच करने के उपरान्त) |
| 30 | पैरा 17(ख) | अनिर्णीत | |
| 31 | पैरा 18 | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख की जांच करने के उपरान्त) |
| 32 | पैरा 19 | अनिर्णीत | |
| 33 | पैरा 20(क) | अनिर्णीत | |
| 34 | पैरा 20(ख) | अनिर्णीत | |
| 35 | पैरा 21 | निर्णीत | (पत्रांक दिनांक 10.11.2014 द्वारा निरस्त) |
| 36 | पैरा 22 | निर्णीत | (पत्रांक दिनांक 10.11.2014 द्वारा निरस्त) |
| 37 | पैरा 23 | निर्णीत | (पत्रांक दिनांक 10.11.2014 द्वारा निरस्त) |
| 38 | पैरा 24(क) | अनिर्णीत | |
| 39 | पैरा 24(ख) | अनिर्णीत | |
| 40 | पैरा 25 | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख जांच के उपरान्त) |
| 41 | पैरा 26(क) | अनिर्णीत | |
| 42 | पैरा 26(ख) | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख की जांच करने के उपरान्त) |
| 43 | पैरा 26(ग) | अनिर्णीत | |
| 44 | पैरा 26(घ) | अनिर्णीत | |
| 45 | पैरा 26(ड.) | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख की जांच करने उपरान्त) |
| 46 | पैरा 26(च) | अनिर्णीत | |
| 47 | पैरा 26(छ) | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख की जांच के उपरान्त) |
| 48 | पैरा 27(क) | अनिर्णीत | |
| 49 | पैरा 27(ख) | निर्णीत | (पैरा 27 ख, ग, घ, ड., छ, ज, ट, ठ, ङ, ढ की कुल ₹16065 की वसूली रसीद संख्याः 14427, 16504 व 16571 द्वारा की गई) |
| 55 | पैरा 27(ग) | निर्णीत | (यथोपरि) |
| 51 | पैरा 27(घ) | निर्णीत | (यथोपरि) |
| 52 | पैरा 27(ड.) | निर्णीत | (यथोपरि) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 53 | पैरा 27(च) | अनिर्णीत | |
| 54 | पैरा 27(छ) | निर्णीत | (यथोपरि) |
| 55 | पैरा 27(ज) | निर्णीत | (यथोपरि)– |
| 56 | पैरा 27(झ) | अनिर्णीत | |
| 57 | पैरा 27(ण) | अनिर्णीत | |
| 58 | पैरा 27(ट) | निर्णीत | (यथोपरि) |
| 59 | पैरा 27(ठ) | निर्णीत | (यथोपरि)– |
| 60 | पैरा 27(ङ) | निर्णीत | (यथोपरि)– |
| 61 | पैरा 27(ढ) | निर्णीत | (यथोपरि) |
| 62 | पैरा 27(ञ) | अनिर्णीत | |
| 63 | पैरा 27(त) | अनिर्णीत | |
| 64 | पैरा 27(थ) | अनिर्णीत | |
| 65 | पैरा 27(द) | अनिर्णीत | |
| 66 | पैरा 28(क) | अनिर्णीत | |
| 67 | पैरा 28(ख) | निर्णीत | (स्वीकृति की जांच कर ली गई) |
| 68 | पैरा 28(ग) | अनिर्णीत | |
| 69 | पैरा 28(घ) | अनिर्णीत | |

## भाग–दो

## 2 वर्तमान अंकेक्षण

अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली के अवधि 4/2013 से 3/2015 के खाद्य लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, श्री चन्द्रेश हाण्डा सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) व श्री ध्रुव राज कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 29.9.2015 से 1.12.2015 के दौरान मनाली में किया गया, जिस के परिणाम आगामी अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है। आय की विस्तृत जांच के लिए माह 3/2014 व 5/2014 व व्यय की विस्तृत जांच के लिए माह 7/2013 व 3/2015 के लेखाओं का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन को संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

## 3 अंकेक्षण शुल्क

अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहरण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली के अवधि 4/2013 से 3/2015 के खाद्य लेखा अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तव में ₹42800 बनता है, परन्तु खाद्य लेखों का अंकेक्षण शुल्क गलती से ₹47000 का आंका गया था। संस्थान द्वारा उपरोक्त शुल्क की राशि को WHMI सोसाईटी के लेखों के अंकेक्षण शुल्क की ₹16000 के साथ संकलित रूप से

निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला–9 हि0प्र0 को भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक लेखा परीक्षा की अधियाचना संख्याः फिन(एल0ए0)/एस0एम0/720, दिनांक 21.12.2015 द्वारा अनुरोध किया गया है तथा तदानुसार संस्थान द्वारा अंकेक्षण शुल्क की कुल ₹63000 को बैंक ड्राफ्ट संख्याः 698284 दिनांक 28.12.2015 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला को भेज दिया गया है। अतः खाद्य लेखों को भेजी गई अधिक अंकेक्षण शुल्क की ₹4200 को आगामी लेखा परीक्षा के अंकेक्षण शुल्क में समायोजित कर लिया जाएगा।

## 4 वित्तीय स्थिति

**(क)** अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान द्वारा प्रस्तुत संस्थान के अवधि 4/2013 से 3/2015 के खाद्य लेखों की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा **परिशिष्ट "I"** पर भी दिया गया है।

| | | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|
| प्रारम्भिक शेष | | 36392963 | 47016322 |
| वर्ष में प्राप्ति | | 35520819 | 39056753 |
| | **कुल** | **71913782** | **86073075** |
| वर्ष में भुगतान | | 24897460 | 29988147 |
| | **अन्तशेष** | **47016322** | **56084928** |

**(ख) संस्थान के खाद्य लेखों का मिलान एवं समाधान निम्न प्रकार से हैः–**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (i) | कांगड़ा कोओपरेटिव बैंक मनाली के खाता संख्याः 500550733959 में दिनांक 31.3.15 को जमा राशि | | | 2721184 |
| (ii) | स्टेट बैंक मनाली खाता संख्या में 31.3.15 को जमा राशि | | | 1127 |
| | | **कुल जमा राशि** | | **2722311** |
| (1) | **जमाः**–दिनांक 31.3.15 को रोकड़ वही में हस्तगत राशि | | (+) | 51805 |
| (2) | **जमाः**–दिनांक 31.3.15 तक निम्नलिखित FDR चैक जमा किए गए लेकिन बैंक द्वारा भुनाए नहीं गए **(परिशिष्ट–"IV")** | | (+) | 9004921 |
| | **विवरण** | | | |
| (i) | FDRs 31.3.15 को परिपवक्ता हेतु जमा की, लेकिन 2004–15 को भुनाई गई –**(परिशिष्ट–"II")** | 8278279 | | |
| | (यथोपरि) – **(परिशिष्ट–"II")** | (+) 554552 | | |
| (ii) | प्राप्ति के चैक दिनांक 31.3.15 तक कांगड़ा बैंक में जमा किए गए, लेकिन अप्रैल में भुनाए गए **(परिशिष्ट–"III")** | (+)**101200** | | |
| (iii) | प्राप्ति के पुराने चैक/ड्राफ्ट स्टेट बैंक द्वारा 31.3.15 तक Encash नहीं किए **(परिशिष्ट–"IV")** | (+)**70890** | | |
| | **कुल** | **9004921** | | |
| (iv) | **माईनसः**– दिनांक 31.3.15 तक चैक जारी किए, लेकिन बैंक में अप्रैल में प्रस्तुत हुए **(परिशिष्ट–"III")**–उपरोक्त में 1 करोड़ के चैक FDR बनाने हेतु 31.3.15 को जारी किए, लेकिन FDR को बैंक द्वारा 3.4.2015 बनाई गई) | | (–) | 10538564 |
| (v) | **माईनसः**–दिनांक 31.3.15 को Current Liabaility **(परिशिष्ट–"V")** | | (–) | 10530 |

(vi) **जमाः–** दिनांक 31.3.15 को सावधि की जमा राशि **(परिशिष्ट–"VI & VII")** (+) 54854985

**कुल 56084928**

**(ग)** रोकड़ वही व बैंक खाते की जांच करने पर पाया गया कि कई मामलों में प्रशिक्षणार्थियों द्वारा RTGS/NEFT द्वारा बैंक में फीस जमा की गई, लेकिन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा कोर्स में भाग नहीं लिया। अतः ऐसे प्रकरणों में रोकड़ वही में प्रविष्टियां करके, इनका सम्बन्धित खातों से मिलान किया जाए तथा अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए। इसके अतिरिक्त खाद्य लेखों की अवधि 4/2013 से 3/2015 की रोकड़ वही व बैंक खाते की जांच करने पर पाया गया कि प्रशिक्षणार्थियों द्वारा विभिन्न कोर्सों के लिए RTGS/NEFT द्वारा फीस जमा की गई थी, जिसकी प्रविष्टियां रोकड़ वही में उचित विवरण के साथ दर्ज नहीं की गई है। फलस्परूप कौन सी फीस किस प्रशिक्षणार्थी से किस कोर्स हेतु प्राप्त की गई, उनका सही सत्यापन नहीं हो पाया। अतः प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त फीस का रोकड़ में उचित विवरण दिया जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(घ)** संस्थान द्वारा **परिशिष्ट–"IV"** में दर्शित निम्न आय के ड्राफ्ट तथा चैक बैंक में गत 3 से 8 वर्ष पहले जमा किए गए थे, परन्तु इन राशियों को बैंक द्वारा पास बुक में जमा नहीं किया है, जो एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। इस सन्दर्भ में वर्णित किया जाता है कि यदि गत वर्षों में माहवार बैंक मिलान व समाधान किया जाता तो ₹70891 लाख की प्रविष्टियां सम्बन्धित बैंकों से बैंक खातों से करवाई जा सकती थी। अतः इस मामले की उचित जांच करके राशि की अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| दिनांक | ड्राफ्ट/चैक संख्या | राशि |
|---|---|---|
| 14.5.2007 | DD No. 003005 | 4500 |
| 7.5.2008 | DD No. 892739 | 4500 |
| 18.1.2010 | – | 4900 |
| 18.3.2010 | चैक 359169 | 390 |
| 13.8.2010 | DD No. 55007 | 6500 |
| 16.8.2010 | DD No. 248854 | 6500 |
| 16.8.2010 | DD No. 248855 | 6500 |
| 20.12.2010 | DD No. 907260 | 5300 |
| 6.1.2011 | DD No. 236834 | 5300 |
| 1.9.2011 | DD No. 072805 | 7000 |
| 3.5.2012 | DD No. 700832 | 9750 |
| 3.5.2012 | DD No. 000345 | 9750 |
| | **कुल** | **₹70890** |

## 5 निवेश

**(क)** खाद्य लेखों के अवधि 4/2013 से 3/2015 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 तक निम्न विवरणानुसार कुल ₹54854985 सावधि में निवेशित की गई थी, जिसका ब्यौरा **परिशिष्ट–"VI & VII"** में भी दिया गया है।

| | |
|---|---|
| **(परिशिष्ट–"VI ")** दिनांक 4/13 से 3/15 के दौरान नई सावधिक में जमा राशि | 33114975 |
| **(परिशिष्ट–"VII")** दिनांक 3/13 से पहले की शेष सावधिक जमा 31.3.15 को | 21740010 |
| दिनांक 31.3.2015 तक कुल निवेश | **₹54854985** |

**(ख)** पुरानी सावधिक जमा राशियों के निवेशों की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार कुछ मामलों में स्टैट बैंक द्वारा आयकर की कटौती करके पुनः निवेश किया है, जबकि अन्य बैंकों अर्थात पी0एन0बी0 व के0सी0सी बैंक द्वारा आयकर की कटौती नहीं की गई है। अतः जब अन्य बैंकों द्वारा किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करते तो स्टैट बैंक द्वारा की गई आय कर की कटौती की ₹460073 की बैंक से वसूली की जाए।

| क्र0 सं0 | सावधिक जमा सं0 | बैंक | परिपक्वता व पुनः निवेश तिथि | परिपक्वता राषि | निवेशित राशि | कटौती |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30419853076 | स्टैट बैंक | 11.9.14 | 758604 | 741965 | 16639 |
| 2 | 309448146564 | –यथोपरि– | 7.11.14 | 701192 | 685530 | 15662 |
| 3 | 30610448683 | –यथोपरि– | 16.12.14 | 612510 | 609405 | 3105 |
| 4 | 302106656634 | –यथोपरि– | 31.3.15 | 581026 | 554552 | 26474 |
| 5 | 30210670495 | –यथोपरि– | 31.3.15 | 8676472 | 8278279 | 398193 |
| | | | | | **कुल** | **₹460073** |

## 6 विभिन्न कर्मचारियों/फर्मों इत्यादि को दी गई अग्रिम ₹32.24 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना

**(क)** अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न कर्मचारियों, फर्मों इत्यादि को दी गई अग्रिम ₹32.24 समायोजन हेतु शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"viii"** पर संलग्न है।

**(ख)** उपरोक्त **परिशिष्ट–"viii"** के लैजर व अन्य सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि इन अग्रिमों में ज्यादातर राशियां कई वर्षों से लम्बित पड़े हैं तथा कुछ अग्रिम राशियां वसूली योग्य भी हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

**(i)** फीमैट इक्यूपमैण्ट भुन्तर को अग्रिम ₹314667 प्रदान की गई थी। यह अग्रिम वर्ष 2013–14 के लैजर के पृष्ठ 269 पर दिनांक 1.4.2013 को प्रारम्भिक शेष के रूप में वर्णित थी, परन्तु यह अग्रिम राशि वर्ष 2013 से कितने वर्ष पहले दी गई थी, इसका अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा इस फर्म से 31.3.2015 तक कोई सामान भी प्राप्त नहीं किया गया था। अतः इस राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाएं।

**(ii)** R.V. Hardware & Sanitary Store मनाली को प्रदान की गई अग्रिम ₹138505 वर्ष 2013–14 के लैजर के पृष्ठ 610 पर दिनांक 1.4.2013 को प्रारम्भिक शेष के रूप में वर्णित थी, परन्तु यह अग्रिम राशि वर्ष 2013 से पहले कब प्रदान की गई थी, उससे सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए। इस प्रकार सामान खरीद से कई वर्ष पहले अग्रिम प्रदान करना अनियमित प्रतीत होता है। अतः फर्म से उक्त राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाए तथा इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों में संस्था स्तर पर जांच करके समस्त अग्रिम राशियों के समायोजन हेतु विशेष पग उठाए जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 7 हस्तगत राशियां

संस्थान द्वारा खाद्य लेखों की रोकड़ वही में गत दो वर्षों में निम्न विवरणानुसार आवश्यकता से अधिक हस्तगत राशियां रखी गई है। अतः आवश्यकता से अधिक राशियों को हस्तगत रखने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

| माह | वर्ष 2013–14 | वर्ष 2014–15 |
|---|---|---|
| अप्रैल | 583220 | 566420 |
| मई | 558422 | 526409 |
| जून | 792404 | 509352 |
| जुलाई | 71388 | 696183 |
| अगस्त | 564493 | 433530 |
| सितम्बर | 289694 | 658343 |
| अक्तुबर | 416736 | 563517 |
| नवम्बर | 485828 | 488233 |
| दिसम्बर | 473143 | 517557 |
| जनवरी | 465019 | 285312 |
| फरवरी | 569514 | 228318 |
| मार्च | 469677 | 51805 |

## 8 स्कीईंग कोर्सों के लिए प्रशिक्षणार्थियों को अनियमित रूप से ₹94728 की फीस की छूट प्रदान करना

खाद्य लेखों के विभिन्न स्कीईंग कोर्सों से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट–"ix"** में दिए गए विवरण के अनुसार प्रशिक्षण शिवरों में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को ₹94728 की फीस की छूट दी गई है, जिसका खाद्य नियमावली में कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार स्कीईंग के विभिन्न प्रशिक्षण शिवरों में प्रशिक्षणार्थियों को छूट देने के कारण संस्थान को ₹94728 की फीस की कम राशि प्राप्त हुई, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए कम प्राप्त की गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 9 प्रशिक्षणार्थियों से अनुमोदित दर से कम दर पर फीस लेने के कारण फीस की ₹0.28 लाख की कम वसूली करना

प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त फीस के अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट–"x"** पर दिए गए विवरणानुसार निम्नलिखित प्रशिक्षणार्थियों से अनुमोदित दर से कम दर पर फीस ली गई थी, जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कम ली गई फीस की राशि की वसूली उचित माध्यम से करके अपेक्षित राशि खाद्य लेखों में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

| Sr. No. | Name | Course Duration | Approve fee | Fee Collected | Less fee Collected |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Kartikaya | 312 BMC 1.5.13 to 26.5.13 | 9750 | 3705 | 6045 |
| 2 | Mr. Amit Thakur | 314 BMC 1.7.13 to 26.7.13 | 9750 | 3705 | 6045 |
| 3 | Mr. Amit Thakur | 182 AMC 30.8.13 to 26.9.13 | 10500 | 3990 | 6510 |
| 4 | Mr. Amit Thakur | 49 MOI 29.9.14 to 26.10.14 | 15400 | 5852 | 9548 |
| | | | | **Total** | **₹28148** |

## 10 मस्ट्रोलों के अन्तर्गत करवाए गए कार्य से सम्बन्धित अनियमितताएं

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा श्री कंवर सिंह को निम्न अग्रिमों का भुगतान किया गया था।

| दिनांक | रोकड़ वही पृष्ठ | राशि |
|---|---|---|
| 14.6.13 | 39 | 20000 |
| 1.7.13 | 46 | 5000 |
| 11.7.13 | 53 | 6000 |
| 24.7.13 | 61 | 12000 |
| | कुल | ₹43000 |

उपरोक्त विवरणानुसार दिए गए अग्रिमों के भुगतानों के एक वर्ष के बाद दिनांक 26.8.2014 रोकड़ वही के पृष्ठ 80 पर माह 6/13 के मस्ट्रोलों के अन्तर्गत पेण्टरों से पेण्ट का कार्य दर्शाकर ₹43008 की रिकुपमैण्ट की गई, जिसकी जांच में निम्न अनियमितताएं पाई गई।

**(क)** उक्त मस्ट्रोलों के अन्तर्गत करवाए गए कार्य की अदायगी मस्ट्रोलों को पारित करके माह 6/13 के बाद भी जा सकती थी। अतः इस सन्दर्भ अग्रिम प्रदान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त माह जून के मस्ट्रोलों हेतु माह जुलाई में अग्रिम प्रदान करने व एक वर्ष बाद समायोजन करना अनियमित है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

**(क)** मस्ट्रोलों द्वारा पेण्ट के करवाए गए कार्य का विवरण व सम्बन्धित सामग्री खरीद का कोई भी विवरण अभिलेख में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः करवाए गए कार्य की मात्रा को स्पष्ट करते हुए

तथा प्रयोग किए गए सामान का खरीद व जारी करने का विवरण भी मस्ट्रोल के साथ संलग्न करके सम्बन्धित अभिलेख आगामी लेखा परीक्षण में प्रस्तुत किए जाए।

## 11 बिजली के बिलों के भुगतान हेतु ₹440701 का अनियमित व्यय करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा खाद्य लेखों के लैजर के पृष्ठ 282 पर दिनांक 31.3.2015 तक विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड को बिजली के बिलों का ₹440701 का भुगतान किया गया दर्शाया गया है, जोकि खाद्य लेखों पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इस भुगतान को सरकारी बजट से रिकूप किया जाए अन्यथा इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इस व्यय को नियमित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 12 विभिन्न एसोसिएषनों व संस्थानों को दानस्वरूप सहायतार्थ के रूप में ₹24000 का अनियमित भुगतान करना

जांच में पाया गया कि संस्थान के खाद्य लेखों से विभिन्न ऐसोसिएषनों व संस्थानों को दानस्वरूप निम्न राशियां सहायतार्थ के रूप में प्रदान की गई।

| क्र0 सं0 | दिनांक | रोकड़ वही पृष्ठ | जिसे राशि प्रदान की गई | प्रदान की गई राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.5.13 | 23 | श्री नील चन्द | 3000 |
| 2 | 30.5.13 | 28 | हडिम्बा म्यूजिक क्लब | 7000 |
| 3 | 11.7.13 | 53 | नेचर व लाईफ सेवर एसोसिएशन | 5000 |
| 4 | 22.7.13 | 60 | प्रधान, यूथ क्लब | 1000 |
| 5 | 7.4.14 | 3 | मनाली स्कीईंग एसोसिएशन | 5000 |
| 6 | 2.1.15 | 151 | शारदा ओल्ड ऐज होम | 3000 |
| | | | **कुल** | **₹24000** |

उपरोक्त भुगतान खाद्य लेखों पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इन भुगतानों को नियमित करवाने हेतु सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति ली जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 13 खाद्य पदार्थों के स्टॉक रजिस्टरों में ₹30163 की खाद्य सामग्री को कम दर्ज करना

संस्थान के खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में निम्नलिखित खाद्य सामग्री की मात्रा कम दर्ज पाई गई, जिनकी कुल कीमत ₹30163 बनती है। अतः उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा कम दर्ज की गई मात्रा को सम्बन्धित खातों में दर्ज करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए अन्यथा इन प्रकरणों में कम दर्ज की गई मात्रा की वसूली उचित माध्यम से वसूली करके खाद्य लेखों में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(क)** स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्याः 67 पर दिनांक 8.9.2013 द्वारा इण्टेट संख्याः142 द्वारा मांगी गई खाद्य सामग्रियों की पूरी मात्रा जारी कर दी गई, लेकिन दिनांक 9.9.2013 को निम्न सामग्रियां पुनः जारी करके शेष कम किया दर्शाया गया है।

| क्र0 सं0 | सामग्री प्रति किलो | दर | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | आटा 26 किलो | 19.45 | 505.70 |
| 2 | चावल 20 किलो | 36.00 | 720.00 |
| 3 | राजमाह 5 किलो | 108.00 | 540.00 |
| 4 | मलका 2 किलो | 60.00 | 120.00 |
| 5 | मूंगफली तेल 7 किलो | 91.00 | 637.00 |
| 6 | चीनी किलो 12 | 37.00 | 440.00 |
| | | **कुल** | **₹2962.70** |

**(ख)** स्टॉक रजिस्टर पर दिनांक 27.5.14 को इण्टेंट संख्या : 65 व 66 द्वारा मांगी गई समस्त सामग्रियां व चीनी 100 किलो व सरसों का तेल 120 लीटर पूरी मात्रा में जारी किया गया, लेकिन दिनांक 12.6.14 को इण्टेंट संख्या : 65 व 66 द्वारा चीनी 100 किलो व सरसों का तेल 90 लीटर पुनः जारी किया गया दर्शाकर शेष कम किया गया। इस प्रकार 100 किलो चीनी की ₹38 प्रति किलो=₹3800 व सरसों का तेल 90 लीटर की ₹93 प्रति लीटर=₹8370 कुल ₹12170 की कीमत चूककर्ता से वसूली करनी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(ग)** स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 99 पर दिनांक 6.6.14 को इण्डेंट संख्याः 80 द्वारा मांगी गई समस्त सामग्रियां पूर्ण रूप से जारी कर दी गई थी, लेकिन दिनांक 12.6.14 को स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 101 पर 15 किलो कावली चना, इण्डेंट संख्याः 80 द्वारा जारी करके शेष पुनः कम दर्शाया गया है। अतः उपरोक्त चने की मात्रा की ₹52 की दर से ₹780 की चूककर्ता से वसूली करनी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(घ)** स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 113 पर दिनांक 6.9.14 द्वारा मांग पत्र संख्याः 149 द्वारा समस्त सामग्रियां पूर्ण रूप से जारी कर दी गई थी, लेकिन दिनांक 20.9.14 को स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 116 पर इण्डेंट संख्या 149 के अन्तर्गत सामग्री को पुनः जारी दर्शाकर निम्न प्रकरणों में शेष कम किया गया है।

| क्र0 सं0 | सामग्री प्रति किलो | दर | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | आटा 30 किलो | 19.75 | 592.50 |
| 2 | चावल 25 किलो | 34.80 | 870.00 |
| 3 | राजमाह 5 किलो | 113.00 | 565.00 |
| 4 | धूली मास 4 किलो | 80.00 | 320.00 |
| 5 | धूली मुंगी 6 किलो | 104 | 624.00 |
| 6 | मूंगफली तेल 5 किलो | 93 | 465.00 |
| 7 | काजू 2 किलो | 640 | 1280.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | किशमिश 5 किलो | 264 | 1320.00 |
| | | **कुल** | **₹6036.50** |

अतः उपरोक्त सामग्रियों की कीमत की चूककर्ता से वसूली करनी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(ड.)** स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्याः 132 पर दिनांक 27.2.2015 को मांग पत्र 278 द्वारा समस्त खाद्य सामग्रियां पूर्ण रूप से जारी कर दी गई थी, लेकिन स्टॉक के रजिस्टर पृष्ठ संख्या 135 पर दिनांक 25.3.2015 को इसी मांग पत्र के अन्तर्गत 10 किलो राजमाह पुनः जारी दर्शाकर शेष कम किया गया। अतः कम की गई 10 किलो राजमाह की मात्रा की ₹86 की दर से ₹860 की चूककर्ता से वसूली करनी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(च)** सब्जियों के स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्याः 86 पर दिनांक 4.10.2013 को इण्डेंट संख्याः 176 द्वारा समस्त सामग्रियां पूरी तरह जारी कर दी गई, लेकिन 14.10.2013 को इण्डेंट संख्याः 176 के अन्तर्गत पुनः निम्न सामग्रियां जारी दर्शाकर शेष कम किया गया।

| क्र0 सं0 | सामग्री प्रति किलो | दर | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | आलू 25 किलो | 11.75 | 293.75 |
| 2 | प्याज 30 किलो | 38.00 | 1140.00 |
| 3 | लहुसन 1 किलो | 82.00 | 82.00 |
| 4 | अदरक 2 किलो | 119.00 | 238.00 |
| 5 | खीरा 10 किलो | 10.50 | 105.00 |
| 6 | मूली 5 किलो | 12.00 | 60.00 |
| 7 | गाजर 10 किलो | 24.00 | 240.00 |
| 8 | बन्द गोभी 35 किलो | 15.00 | 525.00 |
| 9 | फूल गोभी 35 किलो | 22.00 | 440.00 |
| 10 | पालक 20 किलो | 16.50 | 165.00 |
| 11 | घीया 10 किलो | 16.00 | 160.00 |
| 12 | फ्रासबीन 3 किलो | 27.00 | 81.00 |
| 13 | शिमला मिर्च 5 किलो | 34.00 | 170.00 |
| 14 | मशरूम 5 पैकेट | 25.00 | 125.00 |
| 15 | भिण्डी 15 किलो | 28.00 | 420.00 |
| 16 | बैंगन 15 किलो | 19.50 | 292.50 |
| 17 | टमाटर 40 किलो | 20.00 | 800.00 |
| 18 | मटर 20 किलो | 42.00 | 840.00 |
| 19 | हरी मिर्च किलो | 28.00 | 28.00 |
| 20 | केला 10 दर्जन | 43.00 | 430.00 |
| 21 | सेब 20 | 28.00 | 560.00 |
| 22 | निम्बू | 38.00 | 38.00 |
| 23 | चेरी 10 | 12.00 | 120.00 |
| | | **कुल** | **₹7353.25** |

अतः उपरोक्त सामग्री की कीमत की चूककर्ता से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 **स्टॉक रजिस्टर में खाद्य सामग्रियों की वास्तविक मात्रा से अधिक मात्रा दर्शाना**

खाद्य सामग्रियों के स्टॉक रजिस्टरों की पड़ताल में निम्न प्रकरणों में सामग्रियों की मात्रा वास्तविक से अधिक दर्शाई गई है।

**(क)** स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 67 पर दिनांक 14.9.2013 को माह साबुत 40.500 किलो शेष थे, लेकिन पृष्ठ 68 पर यह मात्रा 70.500 किलो अर्थात 30 किलो अधिक दर्शाई गई।

**(ख)** स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 69 पर दिनांक 28.9.2013 को दाल चना की मात्रा 24.500 किलो शेष थी, लेकिन पृष्ठ 70 पर यह मात्रा 54.500 किलो अर्थात 30 किलो अधिक दर्शाई गई।

**(ग)** स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 70 पर दिनांक 4.10.2013 को राजमाह की मात्रा 50.800 किलो शेष थी, लेकिन पृष्ठ 71 पर यह मात्रा 56.800 किलो अर्थात 6 किलो अधिक दर्शाई गई।

**(घ)** स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 98 पर दिनांक 1.6.2014 को अरहर की मात्रा 14 किलो शेष थे, लेकिन पृष्ठ 99 पर यह मात्रा 22 किलो अर्थात 8 किलो अधिक दर्शाई गई।

**(ड)** स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 111 पर दिनांक 31.8.2014 को चीनी की मात्रा 375 किलो शेष थी, लेकिन पृष्ठ 112 पर यह मात्रा 545 किलो अर्थात 170 किलो अधिक दर्शाई गई।

**(च)** स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 112 पर दिनांक 3.4.2014 को 1076 किलो आटा शेष था। इण्डेंट संख्याः 141 से 145 द्वारा 223 किलो आटा जारी करने के उपरान्त 853 किलो शेष रहना था, जबकि आटे की शेष मात्रा 963 किलो अर्थात 110 किलो अधिक दर्शाई गई।

**(छ)** स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 112 पर दिनांक 4.9.2014 को तेल की मात्रा 58 लीटर शेष थी, लेकिन पृष्ठ 113 पर यह मात्रा 88 लीटर अर्थात 30 लीटर अधिक दर्शाई गई।

**(ज)** स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 112 पर दिनांक 4.9.2014 को दलिया की मात्रा 20.700 किलो शेष थी, लेकिन पृष्ठ 113 पर यह मात्रा 40.70 किलो अर्थात 20 किलो अधिक दर्शाई गई।

अतः उपरोक्त समस्त प्रकरणों से अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 **प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन**

संस्थान के खाद्य नियमावली के नियम 9–III के अनुसार स्टॉक का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन तिमाही के आधार पर किया जाना अपेक्षित था, लेकिन अंकेक्षण अवधि के दौरान स्टॉक का सत्यापन नहीं किया गया। अतः स्टॉक का तिमाही आधार पर प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

16 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई।

17 **निष्कर्ष :–** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.